भारत संचार निगम लिमिटेड

o/o S.D.O. (Telegraph)
Ashoknagar

प्रति,
श्रीमान अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक महो.
(भू- प्रबंध कक्ष)
म.प्र. शासन, भोपाल

SDO(T)/Ashoknagar/Forest-Permission/NOFN-Project/2019-20/ Dated 4.11.2019

विषय – नेशनल - ऑप्टिकल -फाइबर नेटवर्क प्रोजेक्ट अंतर्गत ऑप्टिकल-फाइबर केबल (भूमिगत) लाइन बिछाने बाबत।

संदर्भ – क्रमांक / डी.एम. /19/3066 अशोकनगर, दिनांक 30 सितंबर 2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार के "डिजिटल-इंडिया" प्रोजेक्ट के तहत अशोकनगर जिले के ईसागढ़ ब्लॉक में ऑप्टिकल फाइबर केबल (भूमिगत) लाइन बिछाई जाना प्रस्तावित है।

इस हेतु जिन सेक्शन्स मे वन-भूमि है उनके लिये अनुमति वांछित है।

अतः उसी क्रम में निवेदन है कि ईसागढ़-ब्लॉक के निम्नांकित दो Section हेतु अनुमति आवश्यक है –

(1) ऑन लाइन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/36860/2018 (कुटेरा-मामोन)
(2) ऑन लाइन प्रकरण क्रमांक FP/MP/OFC/36830/2018 (ईसागढ़-कदवाया)

इस सम्बन्ध मे –

(1) भूमि का वैधानिक स्वरुप अपरिवर्तित रहेगा अर्थात प्रकरण संरक्षित वन का होने से वन भूमि संरक्षित वन ही रहेगी। – पालन किया जायेगा

(2) उपयोग कर्ता अभिकरण व्यपवर्तित भूमि तथा उसके चारों ओर के क्षेत्र में जीव-जंतु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा – पालन किया जायेगा

P.T.O.

3- यह वनभूमि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त किसी भी अन्य उपयोग में नहीं ली जा सकेगी । भूमि प्रयोजनों में बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वनसंरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा । — पालन किया जावेगा

4- वनों के संरक्षण, अनुरक्षक तथा संवर्धन के हित में राज्य शासन, वन विभाग अथवा भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम क्षेत्रीय) भोपाल द्वारा समय-समय पर अधिरोपित की गई अन्य शर्तों का पालन उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा किया जावेगा । — पालन किया जावेगा।

5- वनक्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जायेंगे । पालन किया जावेगा।

6- उपयोगकर्ता अभिकरण से यह वचन पत्र दिया जावेगा कि वनसंरक्षण की दृष्टि से राज्य शासन/केन्द्र शासन द्वारा भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो वह मान्य होगी । पालन किया जावेगा।

7- Cable Line मुख्य मार्ग के किनारे एवं समानान्तर में ही डाला जावेगा । केबिल की दूरी कम करने हेतु मुख्य मार्ग के किनारे को छोड़कर अन्य वन भूमि का प्रयोग नहीं किया जावेगा । पालन किया जावेगा

8- वनक्षेत्र के अन्दर स्थित मुरम. मिट्टी एवं पत्थरों का उत्खनन नहीं किया जावे । पालन किया जावेगा।

9- समतलीकरण का कार्य आवेदक/आवेदक संस्थान के द्वारा स्वयं के व्यय पर खोदी गई खन्ती से निकली गई मिट्टी से किया जाएगा । — पालन किया जावेगा।

10- समतलीकरण के कार्य हेतु यदि मिट्टी/पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जावेगा । — पालन किया जावेगा

11- खन्ती खोदते समय वृक्षों को हानि नहीं पहुँचाई जावेगी तथा खन्ती में आने वाले वृक्षों एवं वृक्षों की जड़ों को नहीं काटा जावेगा । — पालन किया जावेगा।

12- यदि आवेदक/आवेदक संस्थान या उसके ठेकेदार के द्वारा वन या वनभूमि को किसी प्रकार की हानि पहुँचाई जाती है तो वनक्षति की राशि आवेदक संस्थान के द्वारा देय होगी । — पालन किया जावेगा।

13- प्रस्तावित योजना के अन्तर्गत राजस्व विभाग के अधीन क्षेत्र में यदि कृषक/भूस्वामी की भूमि प्रभावित होती है तो उसके लिए कलेक्टर द्वारा वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी । पालन किया जावेगा।

14- कार्य करने वाले मजदूरों को फ्री ऑफ कॉस्ट जलाऊ लकड़ी शासकीय स्वीकृत डिपो से उपलब्ध कराई जावे । जिसकी राशि का समायोजन परियोजना की लागत में किया जावे । — पालन किया जावेगा।

15- सूर्यास्त के पश्चात् कोई कार्य नहीं किया जावे । — पालन किया जावेगा।

16- निर्माण किये गये स्थान पर स्थाई बोर्ड आदि उपयुक्त स्थानों पर शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त कर लगाये जावे । — पालन किया जावेगा

17- उक्त कार्य में स्थानीय वन समिति के लोगों को मजदूरी हेतु प्राथमिकता दी जावे । — पालन किया जावेगा।

18- यदि उक्त कार्य किसी अन्य ऐजेन्सी या नियोक्ता (ठेकेदार) के द्वारा कार्य कराया जाता है तो उसका नाम, पते आदि की समस्त जानकारी इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जावे । — पालन किया जावेगा

19- उक्त कार्य निर्धारित एलाईनमेन्ट के भीतर ही किया जावे । यदि स्वीकृत एलाईनमेन्ट के बाहर कार्य पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध वन अधिनियम 1980 में विहत प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाकर स्वीकृति निरस्त की जावेगी । — पालन किया जावेगा।

20- निर्माण के दौरान अनुपयोगी मटेरियल को वनक्षेत्र में न डाला जावे । — पालन किया जावेगा।

21- उपरोक्त स्वीकृति की अवधि जारी तिथि से 01 वर्ष के लिए ही वैध रहेगी । उक्त अवधि में कार्य को पूर्ण किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में जारी स्वीकृति स्वतः ही निरस्त होगी । — पालन किया जावेगा।

22- राशि रु. 100/- का ई-चालान के माध्यम से जमा कराकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल कार्यालय में जमा करना दी गई है।

अतः निवेदन है कि आवश्यक स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

धन्यवाद श्रीमानजी।

S.D.O. (Telegraph)
Ashoknagar